

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023—फाल्गुन 5, शक 1944

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के स्वीकृत अवकाश नगदीकरण निरस्ती के संबंध में.

2. माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का विभाग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर 2022 को दिनांक 1 से 8 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया था.

3. आपके पत्र अनुसार माननीय न्यायाधिपति महोदय का टूर प्रोग्राम निरस्त हो जाने के कारण एल. टी. सी. का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2022 को निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. एफ 1 (ए) 108-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा),

1091

पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 12 से 26 फरवरी 2023 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत केरल जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है:—

1. श्री राजीव कुमार मिश्रा — स्वयं
2. श्रीमती सीमा मिश्रा — पत्नी
3. कु. राजुल मिश्रा — पुत्री

(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती पिकी जिवनानी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (महिला सुरक्षा), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

फा. क्र. 654-इक्कीस-ब (एक)-2023.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रितेश कुमार घोष, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम चीफ एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित

मानदेय पर दिनांक 30 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2028 तक, 05 वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है.

फा. क्र. 800-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक 746-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 17 फरवरी 2022 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों जिनका कार्यकाल दिनांक 16 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

### पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2023

क्र. 115-1123727-2023-चौवन-2.—श्री तनवीर अहमद खान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री तनवीर अहमद खान, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2023

क्र. एफ01-24-2022-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) धारा 13 की उपधारा (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जिला सीहोर की तहसील रेहटी की सीमायें, तहसील रेहटी के पटवारी हल्का न. 03 का ग्राम ऊँचाखेड़ा अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है तथा ग्राम ऊँचाखेड़ा को तहसील बुदनी में समाविष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक/आर/ 384 /1122378/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°36'36.683" से 23°36'9.157" उत्तर अक्षांश तथा 77°40'41.912" से 77°40'15.106" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- विदिशा

वनमण्डल - विदिशा

तहसील - विदिशा

वन परिक्षेत्र - विदिशा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	गंगरवाड़ा	गंगरवाड़ा	शासकीय भूमि	420	3.397	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं कक्ष पी-557 की पश्चिमी सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 1 तक नाले की सीमा।
				422	6.638	
				423	10.839	
				424	1.986	
				425	7.743	
				428/2	9.303	
				429	3.543	
430	2.351					
				योग	45.800	

**नोट:-**

1. खसरा क्रमांक 428/1 रकबा 0.627 हेक्टेयर निजी भूमि के मुनारा क्रमांक ए1 से ए4 तक की कृत्रिम सीमा का रकबा वनखण्ड के रकबा से बाहर हैं।
2. खसरा क्रमांक 426 एवं 427 कुल रकबा 5.801 के मुनारा बी1 से बी6 तक की कृत्रिम सीमा का रकबा वनखण्ड के रकबा से बाहर है।

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC/02/2019-BHO दिनांक 03.08.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना दरगावां लघु तालाब (परियोजना का नाम) में प्रभावित 35.30 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 45.80 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, विदिशा के पत्र क्रमांक क्यू/आर.एम./2018/3983 दिनांक 16.02.2018 एवं आदेश क्रमांक/46/अ-19/96-97 दिनांक 26.08.1997 से हस्तान्तरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विदिशा (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/री-1/22/3893 दिनांक 07.09.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

आर/384/1122378/2023/10-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर/384/1122378/2023/10-3, दिनांक 16 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal the 16<sup>th</sup> February 2023

No./<sup>384</sup>R-1122378/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23<sup>0</sup>36'36.683" to 23<sup>0</sup>36'9.157" North Latitude and 77<sup>0</sup>40'41.912" to 77<sup>0</sup>40'15.106" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Vidisha  
Forest Division - Vidisha

Tahsil - Vidisha  
Forest Range - Vidisha

S. No	Details of Land Included					Forest Block		
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	Bouderies		
1	Gangarwara	Gangarwara	Government Land	420	3.397	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 9 of Protected Forest Block.		
				422	6.638			
				423	10.839			
				424	1.986			
				425	7.743			East - Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 15 of Protected Forest Block and western boundary of compartment no. P-557
				428/2	9.303			
				429	3.543			
				430	2.351			South - Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 22 of Protected Forest Block.
				<b>Total</b>	<b>45.800</b>	West - Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 1 of Protected Forest Block along with the Naala boundary.		

**Note :-**

Private land Khasra no. 428/1 are 0.627 hectare's out from 45.800 hectare of block A pillar no. A1 to A4.

Private land Khasra no. 426 and 427 area 5.801 hectare's out from 45.800 hectare of block B pillar no. B1 to B6.

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC/02/2019-BHO dated 03.08.2021 and in lieu of 35.30 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dargawan Tank (Name of Project) of W.R.D. M.P. (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest land of 45.80 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by letter no. Q/RM/2018/3983 dated 16.02.2018 and order no. 46/A-19/96-97 dated 26.08.1997 of collector Vidisha for for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. Q/REE-1/22/3893 dated 07.09.2022 of Subdivisional officer Revenue Vidisha (Designation of Competent Revenue officer) Agar are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक/ 386 /आर-1122379/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°25'53.53" से 24°26'27.02" उत्तर अक्षांश तथा 75°11'17.80" से 75°11'45.68" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- नीमच  
वनमण्डल - नीमच

तहसील - मनासा  
वन परिक्षेत्र - मनासा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	हांसपुर (सी.ए.)	हांसपुर	काबिल काश्त	718/1/1	17.74	उत्तर- मुनारा क्रमांक 22 से 32 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।
			राजस्व (गैर वनभूमि)	718/2	01.89	
				1024/2	06.37	
				1024/1/2	1.875	
			नाकाबिल काश्त	715	1.230	पूर्व - मुनारा क्रमांक 32 से 09 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।
			राजस्व (गैर वनभूमि)	716	0.700	
				717	0.800	
				719/2	0.669	
					दक्षिण- मुनारा क्रमांक 09 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।	
					पश्चिम- मुनारा क्रमांक 17 से 22 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।	
			योग	31.274		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB/092/2021-BHO/767 दिनांक 11.11.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल रांराधन संभाग, नीमच की स्वीकृत परियोजना पगारा जलाशय निर्माण में प्रभावित 4.53 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 05 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 16/अ-20(3)/2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB/096/2021-BHO दिनांक 21.12.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नीमच की स्वीकृत परियोजना चन्द्रपुरा से भदाना कंजार्डा मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण में प्रभावित 1.768 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.875 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक/11/अ-20(3)/2021-22 आदेश दिनांक 20.07.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :-

(i) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक/16/अ-20(3)/2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की प्रस्तावित सिंचाई योजनापगारा तालाब हेतु 4.53 हेक्टेयर, कालिया खो तालाब हेतु 19.50 हेक्टेयर एवं चम्बलेश्वर तालाब की ऊँचाई बढ़ाने हेतु 0.93 हेक्टेयर कुल 24.96 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित 26.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग, नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(ii) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक/16/अ-20(3)/2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच की प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय योजना की शेष 3.399 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम हांसपुर, तहसील मनासा स्थित 3.399 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग, नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, तहसील-मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 28.01.2021, 05.08.2021 एवं 08.11.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक/386/आर-1122379/2023/10-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसारण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/386/आर-1122379/2023/10-3 दिनांक 16 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.



Bhopal the 16<sup>th</sup> February 2023

No./: 386 /R-1122379//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24<sup>o</sup>25'53.53" to 24<sup>o</sup>26'27.02" North Latitude and 75<sup>o</sup>11'17.80" to 75<sup>o</sup>11'45.68" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Neemuch

Tahsil - Manasa

Forest Division - Neemuch

Forest Range - Manasa

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies					
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)						
1	Hanspur (C.A.)	Hanspur	Kabil Kast	718/1/1	17.74	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 32 & Revenue land.					
			Revenue (Non Forest Land)	718/2	01.89						
				1024/2	06.37						
				1024/1/2	1.875						
			Na Kabil Kast	715	1.230			East - Artificial Forest boundary from pillar Number 32 to 09 & Revenue land.			
			Revenue (Non Forest Land)	716	0.700						
				717	0.800						
				719/2	0.669						
										South - Artificial Forest boundary from pillar Number 09 to 17 & Revenue land.	
										West - Artificial Forest boundary from pillar Number 17 to 22 & Revenue land.	
			<b>Total</b>	<b>31.274</b>							

**(A) Reason for publication of Notification :-**

(i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPB092/2021-BHO/767 dated 17/11/2021 and in lieu of 4.536 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pagara Tank Project of the Executive Engineer, Water Resources Division, Neemuch, M.P. the above mentioned Non Forest land of 05 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 16/A-20(3)/2020-21 dated 05.11.2020 of collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPB096/2021-BHO dated 21/12/2021 and in lieu of 1.768 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chandrapura to Bhadna Kanjarda road of the General Manager, Madhya Pradesh. Rural Road Development Corporation Project Implementation Unit, Neemuch, the above mentioned non forest land in lieu of the 1.875 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 11/A-20(3)/2021-22 dated 20.07.2021 of collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(i) With reference to Executive Engineer water resources Division, Neemuch proposed irrigation scheme Pagara tank 4.53 hectares, Kalia Kho tank 19.50 hectares and to increase the height of Chambaleswar tank 0.93 hectare total 24.96 hectare forest land, In lieu of 26.00 hectares revenue land located in village hanspur, Tehsil Manasa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department, Neemuch by Collector, District Neemuch's order No. 16/A-20(3)/2020-21 Date 05.11.2020.

(ii) With reference to Executive Engineer Water Resources Division, Neemuch's proposed Gangabawdi Reservoir Scheme's remaining 3.399 hectares forest land, In lieu of 3.399 hectares revenue land located in village Hanspur, Tehsil Mansa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department, Neemuch by Collector, District neemuch's order No. 40/A-20(3)/2021-22 from 23.09.2021.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 28.01.2021, 05.08.2021 and 08.11.2021 of Tehsildar, Tehsil- Manasa are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक / 403 / आर-1140699 / 2023 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°23'36.93" से 21°23'45.60" उत्तर अक्षांश तथा 75°18'0.89" से 75°18'9.74" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वनमण्डल - वन मण्डल सेंधवा (सा0)

तहसील - वरला

वन परिक्षेत्र - धवली

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	धामन्या	धामन्या पटवारी हल्का नम्बर-25	चरनोई	40/1/1	6.000	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 24/1/4/2 की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 6 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 40/1/2 एवं 38 की सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 7 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 40/1/3 की सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 1 तक पश्चात नदी की प्राकृतिक सीमा।
				योग	6.000	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 6-MPC070/2021-BHO दिनांक 04.01.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./प.)संभाग, बड़वानी जिला-बड़वानी की स्वीकृति सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (एम.-पी.एम.डीआर.-48-22) परियोजना में प्रभावित 5.518 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, बड़वानी के आदेश क्रमांक/6702/रीडर/भूमि बावंटन/2021 दिनांक 16.09.2021 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, वरला के प्रतिवेदन क्रमांक/2029/रीडर-3/2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक/ /आर-1140699/2023/10-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/403/आर-1140699/2023/10-3, दिनांक 17 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal the 17<sup>th</sup> February 2023

No. 403 /1140699/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°14'53.95" to 22°15'05.67" North Latitude and 78°19'41.17" to 78°19'57.82" East Longitude.

**-SCHEDULE-**

District - Barwani

Tahsil - Warla

Forest Division - Sendhwa (T)

Forest Range - Dhavli

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Bhamniya	Revenue Villange Dhamniya (P.H. No. 25)	Charnoi	40/1/1	6.000	North - Proposed Forest Block from Pillar number 1 to 2 then boundary of khasra number 24/1/4/2 of village Dhamniya. East - Proposed Forest Block from Pillar number 2 to 6 then boundary of khasra number 40/1/2 and 38 of village Dhamniya. South - Proposed Forest Block from Pillar number 6 to 7 then boundary of khasra number 40/1/3 of village Dhamniya. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 1 then natural boundary of river.
				<b>Total</b>	<b>6.000</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC070/2021-BHO dated 04.01.2022 and in lieu of 5.518 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sendhwa-Warla major District Road (MP-MDR-48-22) Project of Executive Engineer, Public Works Department (B&R) Division, Barwani, district Barwani (M.P.), the above mentioned Non-Forest land of 6.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 6702/Reader/Bhumi Avantan/2021 dated 16-09-2021 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 2029/Reader-3/2022 dated 02.02.2022 of Tehsildar, Warla are as under:-

1. Individual Rights :- No Individual Rights Exist

2. Community Rights :- No Community Rights Exist

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक/ 405 /आर-1122381/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°14'53.95" से 22°15'05.67" उत्तर अक्षांश तथा 78°19'41.17" से 78°19'57.82" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

वनमण्डल - पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

तहसील - जुन्नारदेव  
वन परिक्षेत्र - दमुआ

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण				क्षेत्रफल (हेक्टर)	वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.		
1	बातरी 'अ'	बातरी	चरनोई	209/1/2	7.578	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	7.578	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB022/2019-BHO/562 दिनांक 10.07.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा ईकाई क्रमांक 2 की स्वीकृत परियोजना रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी सड़क निर्माण में प्रभावित 3.798 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 7.578 हेक्टेयर (चरनोई) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.578 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक/0036/अ-19(3)/2017-18 दिनांक 11.09.2018 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक/ 405 /आर-1122381/2023/10-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/405/आर-1122381/2023/10-3, दिनांक 17 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.



Bhopal the 17<sup>th</sup> February 2023

No. 405 /1122381/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°14'53.95" to 22°15'05.67" North Latitude and 78°19'41.17" to 78°19'57.82" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Chhindwara

Tahsil - Junnardev

Forest Division - West division chhindwara

Forest Range - Damua

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Batri 'A'	Batri	Charnoi	209/1/2	7.578	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 6 to 9 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 1 of Protected Forest Block.
				<b>Total</b>	<b>7.578</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6MPB022/2019-BHO/562 dated 10.07.2020 and in lieu of 3.798 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rampur to Chandaniya Koyalwadi Road of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Limited Unit 2 Chhindwara the above mentioned Non Forest Land (Charnoi) of 7.578 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 0036/A-19(3)/2017-18 dated 11-09-2018 of Collectro Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tehsildar Junnardev District Chhindwara are as under:-

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no Community rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्रमांक/ 415 /आर-111495/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°58'12" से 24°58'9" उत्तर अक्षांश तथा 80°44'53" से 80°45'21" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- सतना  
वनमण्डल - सतना

तहसील - मझगवां  
वन परिक्षेत्र - चित्रकूट

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	पड़री	झरी	राजस्व भूमि	1424 1426 1425	14.170 9.433 27.004	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- वन परिक्षेत्र चित्रकूट वनखण्ड पड़मनियां कक्ष क्रमांक पी-81 की सीमा।
				योग	50.607	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 6-MPC060/2021-BHO दिनांक 24.11.2022 एवं F.No. 6-MPC067/2021-BHO दिनांक 07.02.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नागौर, उचेहरा (आवेदित विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना मेसर्स महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना (सतना-बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना) में प्रभावित 19.847, 44.696 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 50.607 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.607 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सतना के आदेश क्रमांक/444/चार0आर0/2021 दिनांक 21.01.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, वरला के प्रतिवेदन क्रमांक/2029/रीडर-3/2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्रमांक/ 415 /आर-1110495/2023/10-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 415 /आर-1110495/2023/10-3, दिनांक 20 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal the 20<sup>th</sup> February 2023

No./ 415 1110495/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24<sup>o</sup>58'12" to 24<sup>o</sup>58'9" North Latitude and 80<sup>o</sup>44'53" to 80<sup>o</sup>45'21" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Satna

Forest Division - Satna

Tahsil - Majhgawan

Forest Range - Chitrakoot

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Padari	Jhari	Revenue Land	1424 1426 1425	14.170 9.433 27.004	North - Proposed artificial forest boundary from pillar no. 01 to 02 to protected forest block. East - Proposed artificial forest boundary from pillar no. 02 to 08 to protected forest block. South - Proposed artificial forest boundary from pillar no. 08 to 13 to protected forest block. West - Boundary of forest range chitrakoot, Padamaniya protected Block Compartment no. 81.
				<b>Total</b>	<b>50.607</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC060/2021-BHO dated 24.11.2021 and 6-MPC067/2021-BHO dated 07.02.2022 and in lieu of 19.847, 22.696 hectare of affected forest land under the sanctioned project of OCKERS (Name of project) M/s Mahaprabandhak M.P. Jal Nigam Satna (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 50.607 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 444 dated 21.01.2021 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 444 dated 21/01/2021 of Collector Satna (Designation of Competent Revenue officer) are as under:-

1. Individual Rights :- No Individual Rights Exist

2. Community Rights :- No Community Rights Exist

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्र. 296-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 (2-ए) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ के सदस्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री किशोर कुमार मिश्रा	सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ, रीवा (म. प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-2022-23-403.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) बरेली	(4) 8.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 14 जनवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2022-23-402.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) असवारी	(4) 5.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	उल्टीधर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2022-23-275.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) कुडेली	(4) 17.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	कुडेली जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2022-23-278.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) बिलटिकुरी	(4) 5.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	बनिया नाला जलाशयके बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.



क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-2022-23-279.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) देवरी नं. 2	(4) 44.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	उल्टीधार जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-2022-23-280.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) नवगवाँ	(4) 17.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6-अ-82-2022-23-282.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	नौगई	16.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 7-अ-82-2022-23-283.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	देवदहा	44.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	उल्टीधर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2022-23-396.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
शहडोल	गोहपारू	सालेबहरा	4.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	उल्टीधर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2022-23-397.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
शहडोल	गोहपारू	खैरबना	2.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-82-2022-23-398.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	मझौली	40.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-2022-23-399.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	बोदाटोला	36.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2022-23-400.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	मोहतरा	18.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2022-23-401.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	डोंगरीटोला	1.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-2022-23-409.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) तितरा	(4) 2.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2022-23-410.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) ओढ़की	(4) 22.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2022-23-411.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) भुमकार	(4) 35.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	बनिया नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2022-23-412.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) कोलमी छोट	(4) 35.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	बनिया नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-20अ-82-19-20-भू-अर्जन-22-6374

सागर, दिनांक 29 अगस्त 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : किशनगढ़ जलाशय योजना  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : रहली  
 3. ग्राम : किशनगढ़  
 4. पट.ह.नं.- : 35  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 32.990 है.

:: अनुसूची 2 ::

क्र.	कास्तकार का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की श्रेणी	ख.नं.	कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि का रकबा		वृक्षों की संख्या
						सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरान पिता कलू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	88/1	0.34	0.340	0.000	अचार-3 सागौन-14 किरार-1 महुआ-1 कोहा-2 बांस-2 कुआ-1
2	अशोक पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	82/1	1.94	1.940	0.000	कुआ-1 अनार-6 आंवला-6 आम-4
3	दशरथ पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	82/2	1.94	1.940	0.000	अमरुद-5 नीबू-1 बेरी-3 जामुन-1 अचार-2
4	कीरत पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	89/1	1.09	1.090	0.000	कुआ-1 आंवला-1 अचार-3 सागौन-13
5	नंदराम पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	89/2	1.08	1.080	0.000	साज-6 कसई-2 कोहा-13 काठी-1
6	प्रकाश पिता उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी अरुण पिता उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी ममता पुत्री उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी किरण पुत्री उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी गंगा पुत्री उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी गीता पुत्री उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी राधारानी देवा उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी साकिन किशनगढ़	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	92/1	0.73	0.730	0.000	आंवला-2 कुआ-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	93/1	0.11	0.110	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	103/1	0.49	0.490	0.000	0



7	मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद साकिन देह रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	91/1/1	1.00	1.000	0.000	कुआ-1 नीबू-1 बिही-4 आम-1 बेरी-1 अचार-1 जासुन-2 सीताफल-3 मुनगा-1 सागौन-4 साज-1 पलास-2
8	हनुमत पिता वीरेन्द्र साकिन देह रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	91/1/2	0.20	0.200	0.000	निरंक
9	देवी पिता बलराम साकिन किशनगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	78/5	0.40	0.400	0.000	आंवला-1 आम-2 अमरुद-8 जासुन-1 बेरी-1 नीबू-1
10	पार्वती बाई जोजे तुलसीराम साकिन काछी पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	83/1	0.79	0.790	0.000	कुआ-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	84/4	0.40	0.400	0.000	सागौन-12 कोहा-1
11	विद्याबाई पति कामताप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	83/2	0.78	0.780	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	84/1	0.40	0.400	0.000	मकान खपरैल 8.97 वर्गमीटर कुआ-1 सागौन-23 कोहा-2 उमर-1 पलास-1 रेजा-1
12	गुलाबरानी जोजे परशराम साकिन काछी पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	84/2	0.40	0.400	0.000	सागौन-32 केन-1 कोहा-3 पलास-1 महानीस-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	85/2	0.82	0.820	0.000	आम-1 अमरुद-2 आंवला-4
13	सुदर्शन पिता प्रीतम 1/4 भाग, अभिवेक पिता प्रीतम 1/4 भाग, श्रीराम पिता प्रीतम 1/4 भाग, प्रीतम पिता धनसींग 1/4 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	84/3	0.40	0.400	0.000	सागौन-29 साज-1 केम-1 कोहा-12 उमर-5
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	85/1	0.82	0.820	0.000	0
14	राधेश्याम पिता तेजीजाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	86/1	1.08	1.080	0.000	मकान खपरैल 68.54 वर्गमीटर कुआ-1 आम-9 बिही-8 अनार-5 नीबू-2 आंवला-1 बेरी-4 मुनगा-1 सागौन-1 कोहा-8 उमर-3 साज-2 बांस-1 कंजी-1
15	नन्दुराम पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	87	1.43	1.430	0.000	मकान खपरैल 28.06 वर्गमीटर कुआ-1 बिही-8 नीबू-2 आंवला-1 अचार-1 बेरी-1 सागौन-15 केम-1 साज-1 कोहा-4 बांस-7
16	वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	90	2.17	2.170	0.000	कुआ-1 बिही-4 आंवला-1 सागौन-28 साज-5 बीजा-1 केम-1 गुंजा-1 अचार-1 कसई-2 पलास-1 कोहा-17 धिरोल-1
17	परशुराम वल्द महादेव प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	91/2	0.53	0.530	0.000	मकान खपरैल 37.21 वर्गमीटर कुआ-1 नीबू-8 आम-2 आंवला-3 अचार-2 बिही-4 बेरी-3 अचार-3 सागौन-8 कोहा-2 पलास-2
18	राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी, जगदीश पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी, सीताराम पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी सुनील पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी प्रभाबाई कलावती मीना	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	92/2	0.36	0.360	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	93/2	0.05	0.050	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	103/2	0.25	0.250	0.000	निरंक

	पुत्री मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी साकिन देह	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	105/2	0.71	0.710	0.000	निरंक
19	राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी जगदीश पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी सीताराम पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी सुनील पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी प्रभाबाई पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी कलावती पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी मीनाबाई पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	109/2	1.40	0.900	0.000	सागौन-93 साज-1 महुआ-1 अचार-1 पलास-2 पीपल-1
20	रामनारायण पिता गणेशप्रसाद 1/3 भाग भूमिस्वामी गोविन्द नारायण पिता गणेशप्रसाद 1/3 भाग भूमिस्वामी संजीव कुमार पिता गणेशप्रसाद 1/3 भाग भूमिस्वामी साकिन किशनगढ़	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	92/3	0.36	0.360	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	103/3	0.25	0.250	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	105/3	0.71	0.710	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	109/3	1.40	0.900	0.000	सागौन-112 साज-1 अचार-2
21	लाखन, वीरेन्द्र पि. फुदीलाल नारायण वल्द कलू ताराबाई उमाबाई पुत्री कलू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	99	0.57	0.570	0.000	सागौन-43 अचार-4 बीजा-1 महुआ-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	101	3.23	0.000	0.300	0
22	सुरेन्द्र सिंह पिता धीरज सिंह साकिन रमगढ़ा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	100/1	1.72	0.550	0.000	कुआ-1 सागौन-120 अचार-8 महुआ-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	102/1	0.32	0.320	0.000	सागौन-28 अचार-3 साज-7 पीपल-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	88/2	1.20	1.200	0.000	मकान टिनशेड 18.60 वर्गमीटर कुआ-1 आवला-4 जामुन-1 रंजा-2 सागौन-12
23	मधु पति सुरेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	100/2	1.20	0.600	0.000	मकान सीमेंट शीट 88.87 sqm RCC 47.40 sqm अचार-1 सागौन-55
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	86/2	0.35	0.350	0.000	कुआ-1 अमरुद-5 सागौन-1 साज-1
		भूमिस्वामी	कृषि भूमि	96	0.05	0.050	0.000	0
24	माखन पिता मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	104	0.69	0.690	0.000	कुआ-1 आम-1 अमरुद-1 मुन्गा-2 नीबू-7 आवला-3
25	राधेश्याम पति उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	105/1	1.43	1.430	0.000	कुआ-1
26	राधेश्याम नंदराम वल्द मानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	106	1.21	0.810	0.000	आम-3 नीबू-2 आवला-2 सागौन-5 केम-1
27	अरुण कुमार पि. उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	109/1	1.40	0.900	0.000	सागौन-190 साज-2 पीपल-1 छेपला-1
28	प्रकाश पि. उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	109/4	1.39	1.390	0.000	सागौन-189 साज-2 पीपल-3 कसई-1 छेपला-5
योग:-						39.59	32.69	0.30

3. अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गढ़ाकोटा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

7- भूमि के नक्शों तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी गढ़ाकोटा जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 14 फरवरी 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा, मालीपुरा) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

## -: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा, मालीपुरा) की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	पर्वत सिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/1/1/1/1	0.009	0.009
	योग -	1	0.009	0.009
2	जालमसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/1/1/2	0.022	0.022
	योग -	1	0.022	0.022
3	दीपसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/1/1/3	0.022	0.022
	योग -	1	0.022	0.022
4	दयांसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/1/5	0.041	0.041
	योग -	1	0.041	0.041
5	नारायण सिंह पिता अमरसिंह भम्मी बाई पिता अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/3/1	0.076	0.070
	योग -	1	0.076	0.070

6	रामसुरी बाई पिता गणपत, सोना बाई बेवा गणपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/3/2	0.076	0.069
	योग -	1	0.076	0.069
7	जालमसिंह पिता मुंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	181/1/1	1.048	0.415
		181/2/2/1	0.322	0.200
	योग -	2	1.370	0.615
8	विजयसिंह पिता कालूसिंह, सुआबाई बेवा कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	181/2/1	1.473	0.125
	योग -	1	1.473	0.125
9	पूनाबाई बेवा नन्नूलाल सूरजसिंह ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	183/1/3	0.627	0.521
	योग -	1	0.627	0.521
10	हेमसिंह पिता अमरसिंह, कृष्णाबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	183/2/2	0.472	0.472
	योग -	1	0.472	0.472
11	जगमोहन पिता गेंदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	199/1	0.291	0.291
	योग -	1	0.291	0.291
12	सुरेश कुमार पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/1/1	1.012	0.812
	योग -	1	1.012	0.812
13	बबलू पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/1/2	0.215	0.215
	योग -	1	0.215	0.215
14	चन्द्रप्रकाश पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/2/1	1.502	1.502
	योग -	1	1.502	1.502
15	कैलाश पिता अमरसिंह हि. 1/3, बद्री पिता अमरसिंह हि. 1/3, रामबाबू पिता अमरसिंह हि. 1/3 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	239/34	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
16	कानीराम पिता तुलसीराम हि. 1/4, किशनलाल पिता तुलसीराम हि. 1/4, रामसिंह पिता तुलसीराम हि. 1/4, गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम हि. 1/4 जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामी	240/192	1.075	1.075
		245/151	0.455	0.455
	योग -	2	1.530	1.530

17	पवित्राबाई पति कैलाश जाति नाई निवासी ग्राम भू-स्वामी	242/199	0.228	0.228
	योग -	1	0.228	0.228
18	गजराज सिंह पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	244/155/3	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
19	भगवतीबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	244/155/4	0.064	0.064
	योग -	1	0.064	0.064
20	कनीराम पिता तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	250/151	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
21	नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	251/151	0.291	0.291
	योग -	1	0.291	0.291
22	श्रीमति श्यामकुंवर पति नरेन्द्रसिंह हि. 67 पै. जाति गुर्जर, शिव पवित्रा पिता घीसालाल पार्वतीबाई बेवा घिसा लाल जयराम बंशी पिता मांग्या समन्तरबाई संतोष बाई पुत्री किशन गीताबाई बेवा किशन जगदीश विनोद ममता फुल्लीकल्ली पिता जगदीश हि. 33 पै. जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	252/151	0.784	0.784
	योग -	1	0.784	0.784
23	अमृतलाल पिता चैनसिंह हि. 1/2, गंगाबाई बेवा चैनसिंह हि. 1/2 जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/34/3	0.019	0.019
	योग -	1	0.019	0.019
24	विजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	228/1/1/3	0.698	0.698
	योग -	1	0.698	0.698
25	सोमपाल ऊर्फ सोमा पिता रत्या जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/34/2	0.019	0.019
	योग -	1	0.019	0.019
	महायोग -		11.030	8.608

(2) मकान/परिसम्पत्ति :-				
स.कं.	नाम	मकान का प्रकार	रकबा (वर्ग मीटर)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	सत्यनारायण पिता गोविन्दसिंह	नींव (दीवार सहित)	76.68	छत नहीं है।
2	समन्दरसिंह पिता जालमसिंह	टीनशेड	40.30	
3	रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिंह	टीनशेड	86.11	
4	सरजनसिंह पिता मांगीलाल	पक्की दिवार	10.45	छत नहीं है।
		पत्थर की दिवार	44.64	छत नहीं है।
		चबूतरा	8.00	
		'बावडी पत्थर पिचिंग	-	
5	समन्दरसिंह पिता चैनसिंह	पक्की दिवार	64.66	छत नहीं है।
6	देवीसिंह, गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	पक्की दिवार	23.10	छत नहीं है।
7	गजराजसिंह पिता फतेहसिंह	पक्की दिवार	72.50	छत नहीं है।
8	जालमसिंह, पिता मुंशीलाल (आश्रम)	पक्का कमरा	30.80	
		कच्चा कबेलू	15.20	
		पक्का शोचालय	2.25	
		आर.सी.सी. स्लेब 1	27.36	
		आर.सी.सी. स्लेब 2	14.70	
		पक्का कमरा	18.86	
		मार्बल फ्लोर	232.03	
9	दशरथसिंह पिता अमरसिंह	टीनशेड	26.07	दिवारें नहीं है।
10	ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह	टीनशेड	34.32	दिवारें नहीं है।
11	सौरमसिंह पिता मांगीलाल	पक्की दिवार	3.15	छत नहीं है।
12	कैलाश पिता अमरसिंह	टीनशेड	10.58	दिवारें नहीं है।
13	जंगबहादुर पिता विक्रमसिंह	टीनशेड	42.00	
14	धूरसिंह पिता गोरीलाल	एल.डी.पी.ई कच्ची दिवारें	24.50	छत पन्नी की है
15	भूली बाई पति हरिसिंह	कच्चा कबेलू	21.28	
16	रामनारायण पिता कन्चनसिंह	पक्का जीना	3.60	
17	धूरसिंह, बनेसिंह, बाबूलाल, दीलीप पिता गोरीलाल	पक्का चबूतरा	9.00	
18	जगबहादुर, भोलाराम, बलवीर पिता विक्रमसिंह, राहुल, बबलू, दीपसिंह	पक्का चबूतरा	25.00	
		पक्का चबूतरा	9.00	
		पक्का चबूतरा	9.00	
19	प्रीतमसिंह पिता चन्द्रसिंह	पक्का चबूतरा	12.00	
20	गणपतसिंह पिता दयाराम	पक्का चबूतरा	7.50	
21	हरिप्रसाद पिता दयाराम	पक्का चबूतरा	7.50	
22	हेमसिंह पिता अमरसिंह	पक्का चबूतरा	2.25	

23	मेहबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	पक्का चबूतरा	6.25	
		पक्का चबूतरा	6.25	
24	पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	कच्चा चबूतरा	24.00	
25	दीपसिंह पिता मोहरसिंह	पक्का चबूतरा	2.25	
26	भूरसिंह पिता जयकिशन	पक्का चबूतरा	7.04	
27	जगदीश पिता गणपत	पक्का चबूतरा	2.25	
28	कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह	पक्का चबूतरा	4.00	
29	भगवतसिंह पिता बापूलाल	पक्का चबूतरा	4.00	
30	दोलतसिंह पिता सोरामसिंह	पक्का चबूतरा	16.50	
31	गीताबाई पति पर्वतसिंह	पक्का चबूतरा	4.41	
32	सन्तोष पिता फतेसिंह	पक्का चबूतरा	4.41	
33	रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिंह	पक्का चबूतरा	9.00	
34	श्रीकिशन पिता गेन्दाजी	पक्का चबूतरा	8.41	
35	दीपसिंह पिता सजनसिंह	पक्का चबूतरा	5.76	
36	शिवराज पिता सजनसिंह	पक्का चबूतरा	15.15	
37	रामसिंह पिता जयसिंह	पक्का चबूतरा	6.40	
38	राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	पक्का चबूतरा	9.00	
39	सुरेश, भगवानसिंह पिता महेन्द्रसिंह	पक्का चबूतरा	6.25	
40	लाखनसिंह पिता बक्शीलाल	ईट का चबूतरा	4.70	
41	इन्दरसिंह पिता बापूलाल	पक्का चबूतरा	10.88	
42	रामबाबू पिता चैनसिंह	पत्थर की दीवार	8.84	
		पत्थर की दीवार	19.38	
43	भोलाराम पिता मानसिंह	ईट की दीवार	2.40	
		ईट की दीवार	2.13	
44	विश्राम पिता कनीराम, राहुल पिता जगबहादुर	टीनशेड़	74.00	
45	नैनसिंह पिता पन्नालाल	टीनशेड़	40.59	
46	प्यारीबाई पति मांगीलाल	पत्थर की दीवार	4.50	
		पत्थर की दीवार	10.80	
		पत्थर की दीवार	9.60	
		पक्का चबूतरा	67.24	
47	गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	टीनशेड़	42.00	
		टीनशेड़	16.00	
48	देवीसिंह पिता चैनसिंह	टीनशेड़	55.50	
		ईट की दीवार	1.98	
		ईट की दीवार	1.80	
		ईट की दीवार	1.95	

	ईट की दीवार	1.95	
	कच्चा कबेलू	37.80	
	योग :-	1569.76	

(3) शोचालय :-				
स.कं.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5
1	सन्तोष पिता बनेसिंह	1.20	1.50	1.80
2	हेमराज पिता कालूराम	1.20	1.50	1.80
3	प्रकाशसिंह पिता हरिसिंह	1.20	1.20	1.44
4	अनूपसिंह पिता नारायणसिंह	1.20	1.50	1.80
5	प्यारीबाई पति मांगीलाल	3.50	1.60	5.60
6	दयालसिंह पिता अमरसिंह	1.20	1.50	1.80
7	चन्दरसिंह पिता हरिनारायण	2.50	1.50	3.75
8	राजेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह	1.20	2.30	2.76
9	सोरमबाई पति जसमतसिंह	1.20	1.50	1.80
10	विजयसिंह पिता कालूराम	1.50	1.50	2.25
11	हेमराज पिता बिहारीलाल	1.30	1.30	1.69
12	हेमसिंह पिता अमरसिंह	1.30	1.30	1.69
13	कैलाशबाई पति सोनाथसिंह	1.50	1.50	2.25
14	विजयसिंह पिता कालूराम	1.50	2.80	4.20
15	रामदयाल पिता अमरसिंह	1.70	2.00	3.40
16	रामचरण पिता परथीसिंह	1.50	1.50	2.25
17	अजबसिंह पिता जयकिशन	1.50	1.50	2.25
18	कमलेशसिंह पिता हाकमसिंह	1.50	1.50	2.25
19	कन्यनसिंह पिता इन्दरसिंह	2.40	3.10	7.44
20	भगवतसिंह पिता बापूलाल	1.20	1.20	1.44
21	पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	1.30	1.50	1.95
22	नारायणसिंह पिता अमरसिंह	1.20	1.50	1.80
23	जमनाप्रसाद पिता निर्भयसिंह	1.30	1.00	1.30
24	रोडजी पिता रामरतन, दुर्गाप्रसाद, भगवानसिंह, सुरेश, सन्दिप पिता रोडजी	1.50	3.45	5.18
25	गोविन्दसिंह पिता मदनसिंह	1.40	1.30	1.82
26	जितेन्द्र पिता गुलाबसिंह	1.30	1.30	1.69
27	गुडडीबाई पति रामनारायण	1.10	1.30	1.43
28	बद्रीलाल पिता बापूलाल	1.30	1.20	1.56
29	गीताबाई पति रामकिशन	1.20	1.30	1.56



30	रामप्रसाद पिता रामलाल	1.20	1.30	1.56
31	गीताबाई पति दिनेश	1.20	1.30	1.56
32	हरिओम पिता पुरुषोत्तम	1.20	1.65	1.98
33	तुलसीराम पिता आसाराम, दिनेश, लखन पिता तुलसीराम	1.00	1.20	1.20
34	हेमराज पिता रामलाल	1.10	1.20	1.32
35	प्रेमसिंह पिता रामलाल	1.20	1.20	1.44
36	राजाराम पिता पन्नालाल	1.10	1.00	1.10
37	जबरसिंह पिता सोरामसिंह	1.35	2.10	2.84
38	जबरसिंह पिता सोरामसिंह	2.10	2.20	4.62
39	चन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	2.40	3.60	8.64
40	नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	1.20	1.30	1.56
41	दीपसिंह पिता मोरसिंह	1.20	1.50	1.80
मालीपुरा				
42	रामनारायणसिंह पिता कंचनसिंह	2.30	1.90	4.37
43	दर्शनसिंह पिता गंगाराम	2.30	2.10	4.83
44	भूरसिंह पिता चन्द्रसिंह	2.10	2.30	4.83
45	सोनू पिता भंवरलाल	1.60	2.60	4.16
46	भिसीलाल पिता अमरचन्द, कृष्णाबाई पति भिसीलाल	1.50	1.50	2.25
47	घीसालाल पिता मांगीलाल	1.50	1.50	2.25
48	लीलाकिशन पिता बापूलाल	1.20	1.50	1.80
49	रानीबाई पति रामलाल	1.30	1.30	1.69
50	जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह	2.00	2.00	4.00
51	रमेशसिंह पिता जालमसिंह	1.50	2.00	3.00
52	जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह	3.00	3.00	9.00
53	गंगाबाई पति चैनसिंह	1.30	1.30	1.69
54	विजयसिंह पिता नारायणसिंह	3.10	2.50	7.75
	योग :-			153.180

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-131-भू-अर्जन-01-अ-82-2022-23

मण्डला, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

- (1) भूमि का वर्णन  
(क) जिला - मण्डला  
(ख) तहसील - मण्डला  
(ग) ग्राम- टिकरवारा एवं हिरदेनगर

क्रं	ग्राम का नाम एवं प.ह.न	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं	कुल रकवा हे. मे	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
1	टिकरवारा प.ह. नं-18	चम्पा बाई पिता नेमी, जाति ढीमर पता टिकरवारा	14/5	0.07 हे	0.03 हे
2		गोवर्धन सकरू चंद्रलाल शीतला पिता बैजनाथ पता मण्डला	14/4	0.07 हे	0.04 हे
3		सुदेश पटेल पिता विपतराम जाति कुर्मी पता टिकरवारा	15	1.29 हे	0.06 हे
4	हिरदेनगर प.ह. नं-19	देवेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, पुत्र श्याम लाल हेमलता पुत्री श्यामलाल जाति पंसारी पता मण्डला	226/5	0.36 हे	0.29 हे
5		सरस्वती बाई बैवा रमेश कौशल, राजेश, अजेश पुत्र रमेश प्रमिला, प्रतिमा पुत्री रमेश जाति पंसारी पता हिरदेनगर	226/4	0.36 हे	0.04 हे
6		आशा देवी पति, आखिलेश कुमार पता हिरदेनगर	341/2	1.1391 हे	0.09 हे
7		शिवकुमार पिता कालिका प्रसाद जाति ब्राम्हण पता हिरदेनगर मण्डला, मण्डला म.प्र	340/1/2	0.05	0.03 हे
<b>कुल योग</b>				<b>0.58 हे</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठरका-टिकरवारा-हिरदेनगर मार्ग में पहुचमार्ग सहित जलमगनीय पुल निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मण्डला या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हर्षिका सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

क्र.-432-भू-अर्जन-2022

धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य हेतु तहसील कुक्षी के ग्राम कुक्षी की वर्णित भूमि जिसकी कृषकवार, सर्वे नम्बर वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है :-

## // अनुसूची (1) //

ग्राम :- कुक्षी					तहसील :- कुक्षी				
स. क्र.	विवरण	खसरावार रकबा (हेक्टर)				अर्जित रकबा (हेक्टर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	ग्राम कुक्षी	0.00	0.031	0.00	0.031	0.00	0.031	0.00	0.031

## // अनुसूची (2) //

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर)	अर्जित किए जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	निवेदिता पति महेन्द्र कुमार जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी	237/6	0.052	0.00	0.021	0.00	0.021
2	उर्मिलाबाई पति जगदीश जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी	237/7	0.026	0.00	0.010	0.00	0.010
योग		02	0.078	0.00	0.031	0.00	0.031

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

क्र.-29-2022-एलए-नस्ती-क्र.-29-2022-एलए

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2023

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार  
अधिनियम 2013(क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा -4 के अन्तर्गत]

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक 5181/तशा/मार्ग/सक्तापुर पहुच मार्ग/2022 खण्डवा दिनांक 28.12.2022 ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय -2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014 -सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

क्र.सं.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
2	3	4	5	6	7	
	खण्डवा	तहसील-पुनासा	18	सक्तापुर	2.297	ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु
				योग	2.297	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. भूमि का नक्शा(प्लान)अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	2	3	4	5	6
खण्डवा	तहसील पुनासा	सक्तापुर	2.297 हे.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा	ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु

—: अनुसूची (2) :-

सक्तापुर -सक्तापुर पहुच मार्ग निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- सक्तापुर की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)
1	2
ख.न 235/1, 235/2/2, 236/1, 361/2, 361/1, 236/2, 238/6, 238/5, 238/4, 238/3, 238/2, 238/1, 360/1, 360/3, 237/2, 253/2, 668/4, 253/1, 190/4, 190/3, 191, 194/4, 190/1, 330/1, 329/2, 329/3, 327/1, 325/1, 324/1 कुल खाते 29 कुल रकबा 2.297 हेक्टेयर	2.297
योग :- 29	2.297

नोट:- भूमि का नक्शा(प्लान)अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-7352-भू-अर्जन-2022

सिवनी, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

प्रारूप पांच

(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

**अनुसूची**

- 1 - परियोजना का नाम - अपर तिलवारा परियोजना  
2 - भूमि का विवरण :-  
(क) जिला - सिवनी  
(ख) तहसील - धनौरा  
(ग) नगर/ग्राम - सुनवारा प.ह.नं. :- 34 रा.नि.मं. :- धनौरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.28 हेक्टेयर

स. क्रमांक	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रमाणित कि स्म	संख्या	प्रकार	स्थिति परिधि
1	677/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	जितेन्द्र आ० मानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ठाकुर जी के मंदिर की भूमि	कीर्तिबाई की भूमि	जुबेदाबी की भूमि	धर्मनंद की भूमि	-	-	-	-
2	677/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कीर्तिबाई ध.प.स्व. श्यामसिंह नीलेश कुमार लता उर्फ निशा ना.बा. पिता श्यामसिंह पालक मां. कीर्तिबाई जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जितेन्द्र की भूमि	शासकीय रास्ता	जुबेदाबी की भूमि	करतार सिंह की भूमि	-	-	-	-
3	227/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	कांतिबाई उर्फ लक्ष्मीबाई बेवा राजेन्द्रकुमार आशीष मनीष आरती ज्योति पिता राजेन्द्र कुमार जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ओमप्रकाश की भूमि	भगवानप्रसाद की भूमि	मुगोबाई की भूमि	ओमप्रकाश की भूमि	-	-	-	-
योग	3			0.28						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांधी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राहुल हरिदास फटिंग**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र.-1023-भू-अर्जन-2023

सिवनी, दिनांक 13 फरवरी 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

### अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - घंसौर बरगी मार्ग से पायली मार्ग निर्माण  
 2 - भूमि का विवरण :-  
 (क) जिला - सिवनी  
 (ख) तहसील - घंसौर  
 (ग) नगर/ग्राम - कलकुही प.ह.नं. :- 06 रा.नि.मं. :- कहानी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.63 हेक्टेयर

स.क.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचन	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	101/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सुखराम पिता बाबूलाल जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	हिरानीलाल पि. चंदर गोंड की भूमि	हल्के पि. जगाराज गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. चिद्दीलाल गोंड की भूमि	दशरथ पि. चंदर गोंड की भूमि				
2	115/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रतनलाल पिता गबडु जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	लटोरा बगैरह पि. चिद्दीलाल गोंड की भूमि	छोटेला ल पि. गबडु गोंड की भूमि	रघुवीरप्रसाद बगैरह पि. गबडु गोंड की भूमि	चैनसिंह बगैरह पि. सियाराम गोंड की भूमि				
3	114	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	मेरसिंग पिता गबडु जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	तेजीलाल बगैरह पि. मानसिंग गोंड की भूमि	छोटेला ल पि. गबडु गोंड की भूमि	रतनलाल पि. गबडु गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. चिद्दीलाल गोंड की भूमि				
4	115/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	छोटेलाल पिता गबडु जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	मेरसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि	रामदीन पि. सूरतसिंह गोंड की भूमि	नेतराम पि. पूरन गोंड की भूमि	रतनलाल पि. गबडु गोंड की भूमि				

5	128	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रामदीन पुत्र सूरतसिंह जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	छोटेलाल पि गबडु गोंड की भूमि	म.प्र. शासन वन	रामू हिरिया बगैरह की भूमि	म.प्र. शासन वन				
6	112	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	लटोरा सीताराम पिता छिद्दीलाल लघरामिया पति छिद्दीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	धनसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि	मेतराम पि पूरन बगैरह गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. छिद्दीलाल गोंड की भूमि	मेरासिंग पि. गबडु गोंड की भूमि				
	102	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		सुखराम पि. बाबूलाल गोंड की भूमि	रतनलाल पि. गबडु गोंड की भूमि	तेजीलाल बगैरह गोंड की भूमि	सुखराम पि. बाबूलाल गोंड की भूमि				
7	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	लटोरा सीताराम पिता छिद्दीलाल मोजे पति तीरथ धनजियाबाई पति छिद्दीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	राजेश कुमार पि. हरनाम गोंड की भूमि	दर्शनलाल पि. हरिलाल गोंड की भूमि	बरातो पति हुकुम बगैरह गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. छिद्दीलाल गोंड की भूमि				
8	129	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	हरनाम बेना प्रसाद शरद कुमार रामू पुत्र किशोरा हिरिया बाई पुत्री किशोरा जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	छोटेलाल पि. गबडु बगैरह गोंड की भूमि	दर्शनलाल पि. हरिलाल गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. छिद्दीलाल गोंड की भूमि	रामदीन पि. सूरतसिंह गोंड की भूमि				
9	135	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	मुंगियाबाई बेवा रामदीन ठाकुरप्रसाद भद्रीप्रसाद मुहागसिंग अकलसिंह शिवरतन शैवबाई पिता रामदीन बसंती बाई हरनाम बेनीप्रसाद शरदकुमार रामू हिरिया बाई पिता किशोरा जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	दर्शनलाल पि. हरिलाल गोंड की भूमि	सुखवती मनवती बगैरह की भूमि	मानकृष्ण बगैरह की भूमि	दर्शनलाल पि. हरिलाल गोंड की भूमि				
10	131/2 /3	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	रामकुमार पिता दर्शनलाल जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	बरातो पति हुकुम बगैरह गोंड की भूमि	बसंतीबाई बगैरह पिता किशोर गोंड की भूमि	म.प्र. शासन चारागाह	लटोरा बगैरह पि. छिद्दीलाल गोंड की भूमि				
11	131/2 /4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	महेश पिता दर्शनलाल जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	बरातो पति हुकुम बगैरह गोंड की भूमि	बसंतीबाई बगैरह पिता किशोर बगैरह गोंड की भूमि	म.प्र. शासन चारागाह	रामू हिरिया बाई बगैरह गोंड की भूमि				
12	103	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	भागबती पति मानसिंग रघुवीरप्रसाद सुरवाईलाल तेजीलाल तेदुसिंग हीरालाल पाचोबाई होलनबाई पिता मानसिंग जाति गोंड नि. ग्रा भूमिस्वामी	प्यासदेव पि. बलीराम गोंड की भूमि	नेरसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि	धनसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि	लटोरा बगैरह पि. छिद्दीलाल गोंड की भूमि				
योग	12			0.63									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- घंसौर बरगी मार्ग से पायली मार्ग निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 फरवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 0026/अ-82 वर्ष 2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकवा <b>9.0962</b> है० एवं शासकीय भूमि रकवा <b>0.0000</b> है० कुल रकवा <b>9.0962</b> है०	उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि.-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र.  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 00.27/अ-82 वर्ष 2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	जमुनहाईखुर्द	निजी भूमि रकवा-1.887हे० एवं शासकीय भूमि रकवा- 5.987 तथा शासकीय भूमि पर स्थित कुल-37 मकानों का रकवा-0.200 (क्षेत्रफल-22117 वर्गफिट) इस प्रकार शास. भूमि कुल रकवा-6.187 हे० निजी एवं शासकीय भूमि का कुल रकवा- 8.074हे०	उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि.-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0028./अ-82 वर्ष 2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बड़ागाँव	निजी भूमि रकवा <b>11.883</b> हूँ० एवं शासकीय भूमि रकवा <b>5.600</b> हूँ० कुल रकवा <b>17.483</b> हूँ०	उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि.-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. A-4892-दो-2-54-2022.—श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. C-320-दो-2-68-2022.—श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-322-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-337-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2020 से 21 नवम्बर 2022 तक 2 वर्ष

की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-344-दो-2-41-2017.—श्री राजेश कुमार गुप्ता, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. A-30-दो-3-53-2005.—श्री कपिल मेहता, तत्कालीन रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर/तत्कालीन सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर वर्तमान में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. C-473-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 28 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2023

क्र. B-458-दो-2-32-2020.—श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेम्बर (Jr.-I), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेम्बर (Jr.-I), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक, अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टि मेम्बर (Jr.-I), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2023

क्र. A-114-दो-2-33-2019.—श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 20 जनवरी 2023 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 30 जनवरी 2023 तक दस दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. B-6263-चार-8-42-1977 भाग-सोलह.—श्री संजीव पाण्डेय, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 8 से 10 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6267-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 दिसम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-6269-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 15 से 23 नवम्बर 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 नवम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6282-दो-2-47-2022.—श्रीमती तृप्ती शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ती शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ती शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-6284-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 30 नवम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6288-दो-2-61-2021.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन अवकाश तथा अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. A-4937-दो-2-12-2017.—श्री अक्वीन्द्र कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 24 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 नवम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. C-324-दो-2-41-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-333-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-335-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. A-32-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-34-दो-2-22-2019.—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-36-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 25 दिसम्बर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक, चौदह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन अवकाश/कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-311-दो-2-26-2022.—श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 3 से 14 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-313-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 जनवरी से 9 फरवरी 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-315-दो-2-40-2019.—श्री अमिताभ मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 17 जनवरी 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. B-385-दो-2-55-2017.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 12 से 14 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. D-478-दो-2-56-2021.—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 1 से 7 फरवरी 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-480-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक -एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री श्रीवास्तव को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . . 97
- अर्द्धवेतन अवकाश . . . 172

योग : 269 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 97 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = \_\_\_\_\_ X 172

के एवज में नगद 30

भुगतान.

क्र. D-483-चार-8-42-1977-भाग-सोलह.—श्री पी. सी. आर्य, तत्कालीन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 6 से 7 जनवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 6 से 14 जनवरी 2023 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. आर्य, तत्कालीन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. आर्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-543-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-545-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-524-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 9 जनवरी 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-526-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का तथा दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का कुल सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्र. B-528-दो-2-6-2021.—श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 8 से 14 जनवरी 2023 तक, सात दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-556-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-567-दो-2-36-2018.—श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-485-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रूपेश चन्द्र वाष्ण्य, सेवानिवृत्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक -एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री वाष्ण्य, को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . . 241
अर्द्धवेतन अवकाश	. . . 59
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 241 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश =  $\frac{241}{2} = 120.5$  X 59  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Jabalpur, the 23<sup>rd</sup> December, 2022

No.132-CJ-I-162.—In the matter of departmental enquiry against Shri Narendra Pratap Singh, the then Principal District & Sessions Judge, Ujjain, presently posted as Principal Judge, Family Court, Jhabua, the High Court, is pleased to resolve that since the enquiry has been dropped against Shri Singh, therefore, he is entitled for grant full pay and allowances during the suspension period after adjustment of subsistence allowance paid to him during the period of suspension.

By order of the High Court,  
LALIT KISHORE, Registrar (Vigilance).

### मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी 2023

क्र. 444-स्था.-श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 व 15 जनवरी 2023 एवं अंत में दिनांक 21 व 22 जनवरी 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
हितेन्द्र द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (प्रभारी).

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर

इंदौर, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्र. अवकाश-281.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 16 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक बीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2023 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 5 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.